
SRI AUROBINDO COLLEGE



(UNIVERSITY OF DELHI)



PROSPECTUS 2024-2025

But few are those who tread the sunlit path; Only the pure in soul can walk in light.

> Sri Aurobindo Ghosh (15th August 1872 - 5" December 1950

Sri Aurobindo College (University of Delhi)

,

The Statue of the great nationalist and philosopher

Sri Aurobindo Ghosh

was installed on 30th October 2013

in the august presence of

Prof. Dinesh Singh

Vice Chancellor University of Delhi

Prof. Umesh Rai







SRI AUROBINDO GHOSH (1872 - 1950)

PROSPECTUS 2024-2025

SRI AUROBINDO COLLEGE (University of Delhi)

Malviya Nagar, New Delhi-110017 Phone: 26692986, Fax: 26691014 Email: principal@aurobindo.du.ac.in Web: www.aurobindo.du.ac.in





ri Aurobindo College was established in 1972 on the birth centenary of the philosopher, patriot-poet, Sri Aurobindo, as a constituent college of the University of Delhi. The college inculcates the ideals of Sri Aurobindo and believes that an overriding and unwavering commitment to excellence is fundamental to the process of education. The college's commitment to diversity, equity, and inclusion among the students, faculty, and staff is central to fulfilling our core mission of imparting education.

Over the years, Sri Aurobindo College has shown a remarkable growth in institutional capacity and academic performance. The university results have shown a progressive improvement in student outcomes, including completion, persistence, and course success. Furthermore, continual addition and updation of essential amenities and facilities has made our college a prestigious institution for academic and co-curricular pursuits. Students' engagements in extracurricular activities like Sports, NCC and cultural societies are encouraged under the able guidance of our skilled faculty. Our goal is to provide a student-centric environment in order to bring out the unique capabilities of each student.

The college has always been known for its highly qualified academicians. Today, our peer alumni teachers are serving as principals in other DU colleges and professors in several departments of University of Delhi. The alumni students are well placed in the fields of banking, finance, general management, academics or entrepreneurship and have been performing remarkably well in all spheres of life.

LOCATION

Sri Aurobindo College is situated in the heart of South Delhi in Malviya Nagar, in the vicinity of Qutab Minar, Sri Aurobindo Ashram, IIT Delhi, NCERT and Qutab Institutional Area.

It is within walking distance from the Malviya Nagar Metro Station (Yellow Line) and is well connected with the rest of the city by buses and Delhi metro.



From the desk of THE PRINCIPAL



Greetings to Prospective Students and their Families!

I am delighted to welcome you all to Sri Aurobindo College, one of the top 150 institutions in the entire nation. As you browse through the pages of our prospectus, I would like to assure you that our college is committed to providing a wholesome educational experience that simultaneously focuses on the mental, physical and spiritual development of the students. The faculty at Sri

Aurobindo College is a distinguished group of educators comprising 22 Professors, 21 Associate Professors, and 101 Assistant Professors, all of whom bring a wealth of knowledge, expertise, and dedication to their roles. Their guidance and mentorship extend beyond the confines of the classroom to create safe spaces where students can feel free to interact with their teachers and also excel academically, with many achieving top ranks and accolades in prestigious university examinations.

Our college boasts a vibrant array of student societies catering to diverse interests and passions, fostering a dynamic campus culture that thrives on creativity, talent, and social engagement. From dance to debate, from fashion to photography, from music to quizzing, these societies provide avenues for students to hone their diverse talents and foster crucial life skills such as teamwork, leadership, time management, etc. At Aurobindo, we are consistently working to organize student-centric initiatives such as workshops, conferences, fests, and industry visits where students gain hands-on practical experience from experts in different fields. Placement is a priority for us, as demonstrated by this year's Job and Internship Fair, which facilitated connections with 50 esteemed organizations to ensure our students get placed even before the completion of their graduation.

As you contemplate the possibilities of a future at Aurobindo, I encourage you to choose us without hesitation. We are dedicated to offering steadfast support to help you realize your goals. As the head of this institution, I take great pride in the nurturing and creatively stimulating environment we have meticulously cultivated at Aurobindo over the course of several years. With genuine enthusiasm, I warmly welcome you as you embark on your educational journey with us.

Prof. Vipin Kumar Aggarwal Principal

DISCLAIMER

Every care has been taken to verify the authenticity of the contents of this prospectus. The information given herein pertains only to the courses offered by Sri Aurobindo College. For detailed information, the applicants are advised to refer to the University of Delhi Information Bulletin or they may contact the Office of Dean, Students Welfare, University of Delhi. The information contained on the relevant Rules, Ordinances and Statutes of the University of Delhi will be final. The data contained in the Prospectus is only indicative and must not be used for legal purposes. The college reserves the right to make any alteration/ addition in the prospectus





THE FACULTY

PRINCIPAL

Prof. Vipin Kumar Aggarwal, M.Com., M. Phil., Ph.D.

DEPARTMENT OF BOTANY

Prof. Manju M. Gupta

Prof. Rashmi Mathur (Teacher-in-charge)

Dr. Anil Kumar Mavi

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Prof. Pramod Kumar

Prof. Yogendra Kumar

Prof. (Mrs) Pravita Kumar

Prof. Sangeeta Kaul

Prof. Soni Rastogi

Prof. Aprajita Chauhan

Prof. Vinay Kumar Singh

Dr. Laxmi Tanwar

Dr. Shikha Narang (Teacher-in-charge)

Dr. Sakshi Malik

Dr. Avinash Kumar Sonkar

Dr. Narpat Raj Nenival

Dr. Shashank Shekhar

Dr. Priyanka Meena



DEPARTMENT OF COMMERCE

Prof. Vipin Kumar Aggarwal

Dr. (Mrs.) Anjali Arora

Prof. Subhanjali Chopra

Dr. Meenakshi Gupta

Prof. Namita Rajput

Dr. (Mrs.) Asha Kiran Gupta

Prof. Anjali Bhatnagar

Dr. Meenakshi Chaudhary

Dr. Nishita Gupta (Teacher-in-charge)

Dr. Shasta Gupta

Mrs. Silky Jain

Mrs. Minny Narang

Dr. Vandana Munjal

Mrs. Priyanka Bedi

Mrs. Ankita Goel

Dr. Yogesh Garg

Dr. Parul Goel

Dr. Seema Nashier

Dr. Pratyush Singh

Ms. Aakriti Saini

Mrs. Kirti Yadav

Mrs. Sonia Lohia

Mrs. Sonia

Dr. Kaushalendra Pal Singh

Ms. Shruti

Mr. Ankit Singh

Ms. Ila Yadav

Mr. Saurabh Kumar

Mr. Kaushal Yadav

Dr. Vijay Lakshmi

Mr. Vikas Kumar

Mrs. Shalu

Mr. Alok Bandhu

Mr. Kishore Kumar Shah

Mr. Dinesh Meena

Dr. Priyanka Meena

Dr. Kapil Garg

Mr. Abhishek Mishra

Ms. Sangeetha B.

Mr. Kartik Saini

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Mrs. Pratibha R. Gupta (Teacher-in-charge)

Ms. Deeksha Joshi



DEPARTMENT OF ECONOMICS

Mrs. Suman Lata

Dr. Renuka Anoop Kumar

Dr. Parul Jain (Teacher-in-charge)

Ms. Hema Nagpal

Mr. Shikhar Kumar

Dr. Mahesh Kaushik

Ms. Saloni Khanna

Mr. Vinay Kumar Yadav

Mr. Anil Kumar

Ms. Shivani Tanwar

Mr. Ramesh Kumar

Mr. Sudarshan Kumar

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

Mrs. Shobhna Chandra

Prof. Vandna Bhalla

Dr. P. P. Singh (Teacher-in-charge)

Dr. Manju Pruthi

Dr. Rinki Sharma

Dr. Mamta Sharma

Dr. Shubhra Gupta

Dr. Himanshu Kushwah

Mr. Avanish Yadav

Dr. Anita Kumari

Dr. Deepak Kumar Jaiswal

DEPARTMENT OF ENGLISH

Prof. Tasneem Shahnaaz

Dr. Raj Kumar Verma

Prof. Meeta Mathur

Ms. Mousumi Biswas

Ms. Sukriti Sobti (Teacher-in-charge)

Ms. Vibhuti Wadhawan

Ms. Pratibha Kumari

Dr. Hemchandra Nameirakpam

Mr. Shivam Verma

Ms. Aibhi Biswas

Ms. Pooja Pandey

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL STUDIES

Dr. Neetu Dwivedi (Teacher-in-charge)

Mrs. Kalpita Sonowal

DEPARTMENT OF HINDI

Dr. Meenakshi Gupta (Teacher-in-charge)

Dr. (Mrs.) Viney Jain

Dr. Hans Raj



Dr. Pankajendra Kishore

Mr. Abhinav Prakash

Dr. Pooja Cheema

Dr. Deepa

Dr. Pooja Madan

Dr. Kailashi Meena

Dr. Shivmangal Kumar

Mr. Aman Yadav

Mr. Nirdesh Prajapati

DEPARTMENT OF HISTORY

Prof. Amit Jha (Teacher-in-charge)

Sh. Vinay Bhardwaj

Dr. Naushaba Shaikh

Dr. Sunaina

DEPARTMENT OF MATHS

Prof. Rajiv Aggarwal

Dr. Davinder Singh (Teacher-in-charge)

Dr. Rajesh Kumar

Dr. Mamta Garg

Mr. Sanyam Gupta

Dr. Monu Kumar

Dr. Mahesh Singh

DEPARTMENT OF PHYSICS

Dr. Om Prakash (Teacher-in-charge)

Dr. Sanjay Tyagi

Dr. Sharmistha Lahiry

Dr. Poonam Jain

Dr. Anupma Yadav

DEPARTMENT OF POL. SCIENCE

Dr. A. N. Misra

Prof. Vipin Kr.Malhotra

Dr. S. S. Rana (Teacher-in-charge)

Dr. Prashant Barthwal

Dr. Anurag Pandey

Mr. Rounak Kumar Pathak

Dr. Surbhi Sehgal

Mr. Vikas Yadav

Ms. Ekta Basoya

Dr. Harish Kumar

Dr. Anju

Dr. Lamneivah Sitlhou

Mr. Avinash Negi

Ms. Chanchal Meena

Mr. Divyendu Jha

Mr. Vikas Anand

Mr. Sachin Kumar



DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

Prof. Vipin Kumar Aggarwal (Teacher-in-charge)

DEPARTMENT OF SANSKRIT

Dr. Vijit Kumar (Teacher-in-charge)

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Dr. Kamal Jeet Dabas

Mr. Om Prakash Singh Yadav (Teacher-in-charge)

Dr. Nitin Chauhan

Dr. Anita Singh

ADMINISTRATION

Mr Ravinder Singh: Administrative Officer

Mr Anil Sharma: Section Officer Mr Pawan Gupta: Senior Assistant

PUBLIC INFORMATION OFFICER (Under RTI Act 2005)

Prof Sangeeta Kaul, Professor

ADDITIONAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Dr Rashmi Mathur, Associate Professor

COURSES OFFERED

SANCTIONED STRENGTH OF THE STUDENTS FOR UG COURSES ACADEMIC YEAR 2024-2025									
COURSE NAME	TOTAL INTAKE	General	EWS	SC	ST	OBC	PwD	CW	KM
B.A.(H) English	58	23	6	9	4	16	3	3	1
B.A. (H) Hindi	58	23	6	9	4	16	3	3	1
B.A. (H) Pol. Science	77	31	8	12	5	21	4	4	2
B.Com. (Prog.)	347	140	35	52	26	94	17	17	7
B.Com. (H)	77	31	8	12	5	21	4	4	2
B.Sc. Life Science	58	23	6	9	4	16	3	3	1
B.Sc. Phys. Science	115	46	12	17	9	31	6	6	2
B.Sc. (H) Electronics	40	16	4	6	3	11	2	2	1
DISCIPLINE WISE B.A. PROGRAMME SEAT MATRIX FOR THE ACADEMIC YEAR 2024-2025									
B.A. Prog. Pol. Science-History	154	62	16	22	12	42	6	6	2
B.A. Prog. Economics-Pol. Science	77	31	7	12	6	21	3	3	1
B.A. Prog Commerce-Economics	77	31	7	12	6	21	3	3	1
B.A. Prog. History- Economics	44	17	6	7	2	12	2	2	1
B.A. Prog. Sanskrit- Economics	11	4	1	2	1	3	1	1	1
B.A. Prog. Sanskrit- History	11	4	1	2	1	3	1	1	1
B.A. Prog. Sanskrit- Political Science	11	4	1	2	1	3	1	1	1



RESERVED SEATS

- 1. Scheduled Castes (15%)
- 2. Scheduled Tribes (7.5%)
- 3. OBC (27%)
- 4. EWS as per government rule

SUPERNUMERARY SEATS

- 1. PWD (5%)
- 2. Children/Widows of the officers and men of the Armed Forces (5%) (As per University Rules)
- 3. ECA (2.5%)
- 4. Sports (2.5%)
- 5. Ward of Kashmiri Migrants (5%)
- 6. Prime Minister special scholarship scheme for J&K students
- 7. Nominated Sikkimese Students (by VC Nominee)
- 8. Foreign Students (10%)
- 9. Wards of Teaching & Non Teaching Staff of Delhi University (5%)
- 10. Orphan Quota (2 seats, for 1 boy & 1 girl in each programme)
- 11. Single Girl Child (1 seat in each programme)

The admissions under the above reserved categories shall be made as per the University guidelines and in accordance with the procedure laid down by the University from time to time.

PROCEDURE OF ADMISSION

The schedule for allocation-cum-admission to all Undergraduate Programmes of all Colleges of University of Delhi for the Academic Session 2024-25 is as under:

1. Commencement of Phase II of CSAS

After the declaration of results of the Common University Entrance Test (CUET)-UG by the National Testing Agency, the University announces the commencement of Phase-II of Common Seat Allocation System (UG) - 2024.

In this phase, the candidates who had successfully completed the Phase-I must login to their dashboard (https://cuet.samarth.ac.in/) to choose their preferred Programmes and College combinations, subject to fulfillment of the eligibility criteria.

2. Correction Window

A Correction Window has also been provided for candidates who have already completed their Phase-I and wish to edit/ modify certain fields.

This is a one-time facility for candidates to update their profile. OBC(NCL), EWS, SC, ST, Minority, PwBD candidates who wish to re-upload their updated documents / certificates can do so in the Correction Window.



Candidates will not be allowed to edit/ modify the following fields in the Correction Window:

- a) Candidate's Name
- b) Candidate's Photograph
- c) Candidate's Signature
- d) Candidate's Gender
- e) Candidate's Registered Email id
- f) Candidate's Mobile number
- g) Candidate's Category/ Sub-Category/ Caste / Supernumerary Quota

Candidates will also not be able to apply for ECA and Sports Supernumerary Quota during this Window. However, they may re-upload their certificates. Only the documents/ certificates uploaded on the CSAS portal will be considered for admission purposes.

The Correction Window will be open till the notified date declared by the University.

Verification of certificate will be done by the college once a student joins classes physically.

3. Calculation of Programme-Specific merit score

In Phase-II, the Candidates will have to map the subjects studied by them in Class XII to those in which they have appeared in CUET-2024. Only those subjects will be considered in which the candidate has passed his / her Class XII board exam. In case the subject studied in Class XII was not a part of CUET, the subject similar or closer to the subject studied in Class XII will be considered. It will be sole responsibility of the candidate to provide correct subject-mapping.

For admission, the University of Delhi will consider subject-based "Normalized Score" provided by NTA for calculating the Programmeme-Group merit scores. The candidates will be able to see their Programmeme-Specific CUET score, based on the Normalized score, for all the Programmemes in which they are eligible for. These Programmeme-Specific CUET scores will be auto-calculated and displayed on the dashboard of the candidates.

4. Advise for Filling the Preferences

In the section of "Preference Selection", the candidate will be able to select and order his/ her preferences. The "Available Preferences" tab will display all the possible Programmeme + College combinations the candidate may choose from. In addition, the candidate can use the "Advanced Filter" option available at the top to filter the Colleges as well as the Programmes. The candidate will have to choose and order the preferences as per his /her choice. The order of selection will also determine the preference order. The candidate can use "Top, Bottom and Preference Number" icons to reorder their preferences. The final order of preferences, as filled and saved, will then be reflected in the "Selected Preferences" tab. Once satisfied with the preference order, the candidate must "Save Changes" to submit his/ her preferences.

Preferences saved by the candidates will determine the allocation and admission of the candidates. It is advisable to choose maximum number of preferences in which a candidate is willing to take admission, if offered. Addition/ deletion/ editing the Programmes and the Colleges after the deadline for the Phase—II will NOT be allowed.



5. CSAS(UGJ-2024 Allocation-cum-Admission Schedule

Please refer to the university website for further information.

The University may announce more rounds subject to the availability of vacant seats, if any.

The Academic Session for Undergraduate Programs for Semester I, III, V and VII will commence as per the University Calender.

6. Extra allocations in First Round

Only in the first round of allotment, 20% extra allotments will be done in UR, OBC-NCL, EWS categories and 30% extra allotments may be done in SC, ST and PwBD categories for all programs in all the College. However, in Colleges, where the withdrawal was less than 5% of the intake in the last Academic Session, 10% extra allotments may be done for UR/ OBC(NCL)/ EWS and 15% extra allotments may be done for SC/ ST/PwBD categories.

The University may decide on policies, as and when required, to fill the seats optimally; in the larger interest of the students.

7. Public Awareness Webinars

The Admission Branch has established helpdesks, Chat-Box and email facility to help prospective students resolve their queries.

Helpdesks have also been established at various Colleges. Details are available on the admission website of the University: http://admission.uod.ac.in

The webinars will be telecast live on the official YouTube channel of the University: University of Delhi.

Candidates are advised to read the Undergraduate Bulletin of Information 2024, CSAS 2024 rules, and visit the admission website of the University regularly for all updates.

- 1. Undergraduate Bulletin of Information 2024: https://admission.uod.ac.in/userfiles/downloads/29052024_CSAS-UG_compressed.pdf
- 2. Admission website: http://admission.uod.ac.in
- 3. CSAS Registration link: https://uqadmission.nod.ac.in

MIGRATION

Application for Migration from another college of the University to Sri Aurobindo College shall be entertained by the Principal only if forwarded by the Principal of the College from which migration is sought. Necessary alteration in the enrolment entries shall only be made in the University Register by the Registrar after obtaining the consent in writing from both Principals. The college strictly reserves the right for grant of Migration.



ATTENDANCE

The students are required to attend all lectures, tutorials & practicals. Tutorials are counted separately for the purpose of attendance. According to the University Rules, the minimum required attendance for all courses is 66%, and in successive academic years, separately. No student will be allowed to appear in the University Examination without requisite percentage of attendance.

INTERNAL ASSESSMENT & CONTINUOUS ASSESSMENT

Internal Assessment in various subjects shall be governed by the University Guidelines.

SCHOLARSHIP

All eligible SC/ST, OBC, PWD Students who are admitted to the college should submit scholarship form B for processing.

FEES AND OTHER CHARGES: PAYABLE AT THE TIME OF ADMISSION - YEAR 2023-24

S.No.	Fees Head	B.A. Prog, B.A. Hons. Eng/Hindi, Pol.Sc./B. Com/B.Com H/M.A. Hindi First Year	PWD M.A. Hindi First Year	B.Sc Electronics/B.Sc Life Science/ B.Sc Physical Science First Year
1.	University Student Welfare Fund	200	50	200
2.	University Development Fund	1000	250	1000
3.	University Facilities and Services Charges	1000	250	1000
4.	Economically Weaker Section Support	150	37	150
5.	Delhi University Student Union (DUSU Fund)	20	5	20
6.	Tuition Fees	180	45	180
7.	College Facilities and Service Charges	930	233	966
8.	College Development Fund	1670	418	1670
9.	College Student Welfare Fund	4450	1112	7450
	Total	9600	2400	12636

NOTE:

- (a) Foreign students are required to pay an amount equivalent to \$100 US in addition to the registration fee being collected by the University.
- (b) At the time of admission, the students will be required to pay fees for six months (May to October) along with other annual charges.
- (c) No student will be permitted to appear in the University Examination unless all dues are paid to the college and a clearance is obtained to this effect.



REFUND OF FEES

The refund of fees will be admissible according to the University rules.

REFUND OF SECURITY

If a student fails to apply for a refund within three years of the date of his/her leaving the college his/her college & library security shall be forfeited. A deduction will be made from the security money if any part of college property is damaged or lost by the student. After taking due consent from the student the security money may be transferred to the Alumni Fund of the college.

IDENTITY CARD

Every student will be issued an Identity Card by the College after admission. He / She is required to carry it with him/her at all times in the College. Entry to the College is permitted strictly on production of Identity Card at the main gate. It must also be produced on demand by any member of the staff at any time in the College. Duplicate Identity Cards may be issued in the event of loss/damage/overwriting/mutilation, subject to proper explanation to the satisfaction of the College authorities and on payment of a penalty of Rs. 50/- for each replacement. The student will be required to inform the college office immediately about any change in their address for communication failing which their ID cards will be cancelled.

SCHOLARSHIPS/FEE CONCESSION/ STUDENTS' AID FUND etc.

College facilitates different scholarships under various categories/ schemes of Govt. of India and University Of Delhi. These details can be obtained from the scholarship/SC/ST/OBC/PwBD cell of University Of Delhi. These concessions are available to those in need of financial help or those who exhibit academic merit. The College reserves the right to withdraw such concession if and when a student is found either irregular in attendance or laggard in studies. The college also maintains 'Students Aid Fund' to provide aid and incentives to needy students by way of scholarship or by award of books etc. The college is likely to constitute two merit-cum-means scholarships for a period of one year. The scholarship is renewable every year depending on the academic performance of the recipient. A decision is being taken to institute an award for the all-round best student who excels both in academics and extra curricular activities.

COLLEGE MAGAZINE

The College brings out a Magazine named 'Arbind Jyoti'. The magazine provides an opportunity to the staff and students for self expression and creative writing. It is the mirror which reflects the curricular and extra-curricular talents of staff and students

ANTI-SMOKING NODAL OFFICERS

The college has been declared a no smoking zone. The anti smoking nodal officers have been appointed by the college.

MEDICAL CHECK-UP AND FOLLOW-UP

Annual Medical check-up of students is done by a team of visiting doctors in the College. Apart from that a whole time nurse has been deputes to check-up the students.



SPORTS

The various sports teams of the College have displayed consistently noteworthy performance in the past. The credit for the same goes collectively to the dedicated efforts of Sports Committee, Coaches and the commitment and regularity of practice by the players.










NATIONAL CADET CORPS

The College NCC battalion of budding patriots is ably commanded by NCC officer. The NCC cadets, during the last year have participated in many state and national level camps and shown excellent results in 'B' & 'C' certificate examinations.



















NATIONAL SERVICE SCHEME

The College has a very active NSS unit. The students under the inspiration of Program Officer have rendered useful social service by participating in programs like community upliftment services and Blood Donation camps etc.

COLLEGE TIMINGS

Classes begin at 8.45am.

OFFICE HOURS

Student dealing is transacted between 9:30 am to 1.00 pm and 1:30 pm to 3:30 pm on all working days. The college office is open from Monday to Friday.

STUDENT UNION

The Student Union is the focal point of students' activities in the College. Its membership is compulsory for all the students of the College. Its objective is to foster intellectual and cultural development of the students and to train them in the methods of democratic institutions.

ORDINANCES

ORDINANCE XV-B

Maintenance of discipline among Students of the University

- 1. All powers relating to discipline and disciplinary action are vested in the Principal/Vice Chancellor.
- 2. The Principal / Vice- Chancellor may delegate all or such powers as he / she deems proper to the Proctor and to such other persons as he/she may specify in this behalf.
- 3. Without prejudice to the generality of power to enforce discipline under the Ordinance the following shall amount to acts of gross indiscipline:
 - a. Physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching and non-teaching staff of any Institution/ Department and against any student within the University of Delhi.
 - b. Carrying of, use of or threat to use of any weapons.
 - c. Any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976
 - d. Violation of the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and tribes
 - e. Any practice-whether verbal or otherwise-derogation of women.
 - f. Any attempt at bribing or corruption in any manner
 - g. Willful destruction of institutional property



- h. Creating ill-will or intolerance on religious or communal grounds
- i. Causing disruption in any manner of the academic functioning of the College system;
- j. Prohibition of ragging as per Ordinance XV-D.
- 4. Without prejudice to the generality of his / her powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him/her appropriate, the Principal/ Vice Chancellor, may in the exercise of his / her powers aforesaid order or direct that any student or students
 - a. Be expelled; or
 - b. Be, for a stated period rusticated; or
 - c. Be not for a stated period, admitted to a course or courses of study in a College, Department or Institution of the University; or
 - d. Be fined with a sum of rupees that may be specified; or
 - e. Be debarred from taking a University or College or Departmental Examination or Examinations for one or more years; or that the result of the student or students concerned in the Examination or Examinations in which he/she or they have appeared be cancelled.
- 5. Each student shall be expected to provide himself / herself with a copy of these rules. At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that on admission he / she submits himself / herself to the disciplinary jurisdiction of the Principal / Vice-Chancellor and several authorities of the University who may be vested with the authority to exercise discipline under the Acts, the Statutes, the Ordinances and the rules that have been framed therein by the University/College.

ORDINANCE XV-C

Prohibition and Punishment for Ragging

- 1. Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of College/Department or Institution and any part of Delhi University system as well as on public transport.
- 2. Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this Ordinance.
- 3. Ragging for the purposes of this Ordinance, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in anyway considered junior or inferior by other students; and includes individual or collective acts or practices which
 - a. Involve physical assault or threat to use of physical force.
 - b. Violate the status, dignity and honour of women students.



- c. Violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled caste and tribe.
- d. Expose students to ridicule and contempt and affect their self-esteem.
- e. Entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.
- 4. The Principal of a College, the Head of the Department or an Institution, the authorities of College, or University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.
- 5. Notwithstanding anything in Clause (4) above, the Proctor may also suo-moto enquire into any incident of ragging and make a report to the Principal /Vice-Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.
- 6. The Proctor may also submit an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.
- 7. If the Principal of a College or Head of the Department or Institution or the Proctor is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/ she may so advise the Principal /Vice-Chancellor accordingly.
- 8. When the Principal/Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, his Iher decision shall be final.
- 9. On the receipt of a report under Clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under clause (7) disclosing the occurrence of ragging incidents described in Clause 3(a), (b) and (c), the Principal/ Vice Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.
- 10. The Principal/Vice-chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated period, admitted to a course of study in a college, departmental examination for one or more years or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.
- 11. In case any students who have obtained degrees or diplomas of Delhi University are found guilty; under this Ordinance, appropriate action will be taken under Statute 15for withdrawal of degrees or diploma conferred by the University.
- 12. For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging whether by way of any act, practice or incitement of ragging will also amount to ragging.
- 13. All Institutions within the Delhi University system shall be obligated to carry out instructions / directions issued under this Ordinance, and to give aid assistance to the Vice-Chancellor to achieve the effective implementation of the Ordinance.

Note: Ragging is a Punishable offence as per the Government of India norms.



The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (MINISTRY OF LAW AND JUSTICE)

It is an Act to provide protection against sexual harassment of women at work place and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith incidental thereto. Whereas sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to a safe environment free from sexual harassment; and whereas the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of all forms of discrimination against Women, which has been ratified on the 25th June, 1993 by the Government of India and whereas it is expedient to make provisions for giving effect to the said Convention for protection of women against sexual harassment at workplace.


The College believes in the policy of gender neutrality and respects all genders.

PARENTS/GUARDIANS

The College seeks their co-operation and would very much appreciate their continued interest in their wards. The College would as far as possible keep posting them on the progress of their wards in both academic and extra curricular activities.

LIBRARY AND READING ROOM

Sri Aurobindo College has a fully computerized library. To help students reach the pinnacle of excellence we have a wide range of books for the students in various disciplines. At present there are more than 66,765 books in the library. The reading room provides newspapers, magazines,





journals and periodicals. Students should make it a point to study the library rules and regulations carefully. Under no circumstances the student is allowed to tamper, tear the leaves from any Book /periodical of the College library. Silence must be observed in the vicinity.

LABORATORY FACILITY

The College has well developed laboratories in science departments. Physics, Chemistry, Zoology, Botany and Electronics laboratories are very well equipped with latest instruments and apparatus.

COMPUTER LABORATORY

College has a well-equipped computer lab with centralized Internet facility. The computer lab besides being used by the students to study their course work can also be used to enhance and develop their knowledge in various spheres of education.

PLACEMENT CELL

The Training and Placement Cell of the college serves as an interface between the students and the corporate worlds. It is led by Dr. Meenakshi Chaudhary this year. The college witnessed offers from 100+ companies across a multitude of sectors. During the tenure, over 200+ students got selected for internships and placements from firms like HDFC, CarDekho, Swiggy, Mahindra, Career Launcher, Lenskart, Urban Company, Tradeshala, Ego Paathshaala, Bizguruukul, Pioneer Solutions etc.

During the Job and Internship Fair, over 50+ companies were onboarded resulting in participation of 500+ students. Axis Bank, Maruti Suzuki, KPMG, De shaw, Zomato, SBI, PlanetSpark, GSC Associates, Bellway Realtech were some of the recruiters.

CULTURAL ACTIVITIES

The college cultural group today has carved an identity for itself in the University cultural arena. The college today has eight registered societies MOKSH (Theatre), CRUNK (Western Dance), BANDWAGONS (Fashion), TALEEM (Indian Music), ALLEGRO (Western Music), SAGE (Literary), 3Ps (Painting, Poster & Photography) and SALVATION (Environment). These societies under the able guidance of the faculty coordinators help students to perform and participate in various inter college and intra college events. The college organizes an annual Talent Hunt competition in early September to tap the fresh talent in the college. Students repeatedly bring laurels to the college by their excellent performance in all major Inter and Intra college competitions /festivals."Mehak" the Annual College Cultural Festival is an eagerly awaited two day event. We have enthusiastic participation from different institutions across the country in all the categories of competitions. College is also a member of the renowned SPICMACAY, Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture amongst Youth. Such enriching interactions help the students in developing a wholesome understanding of our rich heritage of art and culture.









NOTIFICATION

The Academic Calendar to be followed for I, III, V, VII, semester of the relevant Undergraduate courses for the academic year 2024-25 by the University subsequently.









श्री अरविंद घोष (1872 - 1950)

विवरण-पुस्तिका (2024 - 2025)

श्री अरविंद महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय)

मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017 दूरभाष : 26692986, फैक्स : 26691014 ई-मेल : principal@aurobindo.du.ac.in वेब : www.aurobindo.du.ac.in



महाविद्यालय के बारे में

क्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख घटक और प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक श्री अरिबंदो कॉलेज की स्थापना सन् 1972 में प्रगाढ़ मानवतावादी, भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन एवं जीवनशैली के अनन्य पक्षध्वार, महान चिंतक, परम देशभक्त, ओजस्वी वक्ता, श्रेष्ठ किव-लेखक और भविष्यद्रष्टा महिष् श्री अरिवंद की जन्म शती के अवसर पर की गई थी, और इसिलए कॉलेज का नामकरण उनके मूल नाम 'श्री अरिवंदो घोष' के आधार पर किया गया। महाविद्यालय श्री अरिवंदो के विचारों, आदर्शों को पूर्ण निष्टा के साथ आत्मसात करता है और यह मानता है कि उत्कृष्टता यानि मनुष्य का भौतिक, प्राणिक, मानिसक, अंतरआत्मिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति सिक्रिय प्रतिबद्धता ही शिक्षण-प्रक्रिया की नींव है। इसी से शिक्षा मानव के मिस्तष्क और आत्मा की शिक्तयों का निर्माण करती है तथा उसमें ज्ञान, चिरत्र और संस्कृति को जाग्रत करती है। एक मिशन के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा-विस्तार हेतु छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच विविधता, समानता और समावेशन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता हमारे महाविद्यालय का मूल मंत्र है।

विगत कुछ वर्षों में श्री अरविंद महाविद्यालय ने अंतःप्रज्ञा कौशल और अकादिमक प्रदर्शन में उल्लेखनीय प्रगति, उन्नित की है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी पिरणामों ने हमारे छात्रों के पिरणामों में प्रगतिशील सुधार दिखाया है। आज हमारा महाविद्यालय आवश्यक सुख-सुविधाओं में निरंतर पिरमार्जन, पिरवर्धन, पिरशोधन करने तथा उन्हें अद्यतन बनाए रखने के कारण अकादिमक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को सुगमतापूर्वक संचालित करने के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान बनकर उभरा है। हमारे कुशल एवं दक्ष शिक्षकों के सम्यक निर्देशन और संरक्षण में विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को तलाशने, तराशने तथा उभारने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों, जैसे - खेल, एनसीसी और विभिन्न सांस्कृतिक समितियों में उनकी सिक्रय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी प्रतिबद्धता छात्र केंद्रित एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण निर्मित करना है, साथ ही हमारा महाविद्यालय व्यापक स्तर पर वैविध्यपूर्ण शिक्षा विस्तार के लिए पूर्णतः समर्पित है।

यह महाविद्यालय सदैव अपने श्रेष्ठ एवं सुयोग्य शिक्षाविदों के लिए जाना जाता है। आज हमारे सहकर्मी, पूर्व छात्र-शिक्षक डीयू के अन्य कॉलेजों में प्रिंसिपल और दिल्ली विश्वविद्यालय के कई विभागों में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आज हमारे पूर्व छात्र-छात्राएँ शिक्षा, बैंकिंग, वित्त, सामान्य प्रबंधन, उद्यमिता, प्रशासन आदि अनेक क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पदों पर बेहतर ढंग से स्थापित हैं और जीवन के समस्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, हमारे संस्थान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रतिष्ठा निर्मित की है और भारत के शीर्ष 150 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। यह उपलब्धि अकादिमक उत्कृष्टता और छात्र-केंद्रित शिक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान हमारे संकाय में स्थायी आधार पर लगभग 100 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और महत्वपूर्ण वृद्धि अपने साथ नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता का खजाना लेकर आई है, जिससे नवीन अनुसंधान और सीखने के लिए उर्वर भूमि तैयार हुई है। उन्नत भारत अभियान हेतु एक नोडल कॉलेज के रूप में सामाजिक उत्थान के व्यापक लक्ष्यों के साथ अपने शैक्षिक प्रयासों को जोड़ते हुए हम सामुदायिक विकास की पहल में गहराई से लगे हुए हैं। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और औद्योगिक दौरों में हमारी सिक्रय भागीदारी से यह प्रमाणित होता है कि समग्र विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कक्षा की सीमाओं से परे फैली हुई है। इसके अलावा स्थिरता के प्रति हमारा समर्पण हमारी हिरत पहल में परिलक्षित होता है, जो पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। हाल ही में रोजगार और प्रशिक्षण मेला 'नींव 3-0' ने हमारे छात्रों को 50 प्रतिष्ठित संगठनों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे 1500 पंजीकृत छात्रों की आजीविका के आशाजनक अवसरों के द्वार खुल गए। इसके



अतिरिक्त अंग्रेजी, वाणिज्य और राजनीति विज्ञान सिहत विभिन्न विभागों ने वार्षिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अनावरण करके अपने छात्रों की अनुसंधान क्षमता का प्रदर्शन किया है, विद्वत्तापूर्ण संभाषण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला है।

शिक्षाविदों से परे, हमारा कॉलेज अपनी जीवंत सांस्कृतिक, पाठ्येतर और खेल उपलिख्यों पर गर्व करता है। ये उपलिख्यों न केवल हमारे संस्थान के समर्पण का प्रतिबिंब हैं, बिल्क हमारे छात्रों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण भी हैं। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम विविधता और रचनात्मकता का जश्न मनाते हैं, छात्रों के बीच समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह शैक्षणिक क्षेत्र के बाहर हमारी पाठ्येतर गतिविधियाँ छात्रों को अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का पता लगाने का अवसर प्रदान करती हैं और उनके सर्वागीण व्यक्तित्व-विकास का पोषण करती हैं। हमारे कॉलेज ने खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, हमारे एथलीटों ने विभिन्न अंतर-महाविद्यालयीन, जिला, राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया है। ये उपलिब्धियाँ हमारे संस्थान को गौरवान्वित करती हैं और हमारे छात्रों में अनुशासन, टीम वर्क और खेल कौशल के मूल्यों को स्थापित करती हैं, जो हमारी सफलता के सच्चे चौंपियन हैं।

हमारे छात्र हमारे प्रयासों के केंद्र में हैं और हमारी असंख्य गतिविधियों का केंद्रबिंदु बने हुए हैं। हम उनकी रचनात्मकता और क्षमता का पोषण करने और उन्हें विकास और आत्म-अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि हम स्व-मूल्यांकन और प्रत्यायन की यात्र पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कॉलेज ने अपने दूसरे चक्र के मूल्यांकन और मान्यता के लिए अपनी आत्म-निरीक्षण रिपोर्ट श्राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्श (नैक) को सौंप दी है, जो निरंतर सुधार और शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

अब हम गर्व से अपने कॉलेज कैलेंडर के वार्षिक अनुष्टान और रीति-रिवाज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

अवस्थिति

श्री अरबिंदो कॉलेज दक्षिणी दिल्ली का दिल मालवीय नगर में तथा कुतुब मीनार, श्री अरबिंदो आश्रम आई.आई.टी दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के आसपास स्थित है। यह मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन (पीली रेखा) से कम पैदल दूरी पर है और शहर के बाकी हिस्सों से बसों और दिल्ली मेट्रो द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।







प्राचार्य की कलम से

भावी छात्रों और उनके परिवारों को असीम श्रुभकामनाएँ ...!

में आप सभी का श्री अरिबंदो कॉलेज में स्वागत करते हुए बहुत खुश हूँ, जो पूरे देश में शीर्ष 150 संस्थानों में से एक है। जब आप हमारे प्रॉस्पेक्टस के पन्नों को ब्राउज करेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा कॉलेज एक संपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो छात्रों के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास पर एक साथ ध्यान केंद्रित करता है। श्री अरिबंदो कॉलेज में शिक्षकों का एक प्रतिष्ठित समूह है, जिसमें 22 प्रोफेसर, 21 एसोसिएट प्रोफेसर और 101 सहायक प्रोफेसर शामिल हैं। ये सभी अपनी भूमिकाओं में ज्ञान, विशेषज्ञता और समर्पण का खजाना लेकर आते हैं। उनका मार्गदर्शन और सलाह कक्षा की सीमाओं से परे सुरिक्षत स्थान बनाने के लिए है, जहाँ छात्र

अपने शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं और अकादिमक रूप से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनमें से कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय परीक्षाओं में शीर्ष रैंक और प्रशंसा प्राप्त करते हैं।

हमारा कॉलेज विविध रुचियों और जुनूनों को पूरा करने वाले छात्र समाजों की एक जीवंत श्रेणी का दावा करता है, जो एक गतिशील परिसर संस्कृति को बढ़ावा देता है तथा जो रचनात्मकता, प्रतिभा और सामाजिक जुड़ाव पर फूलती-फलती है। नृत्य से लेकर वाद-विवाद तक, फैशन से लेकर फोटोग्राफी तक, संगीत से लेकर प्रश्नोत्तरी तक, ये समाज छात्रों को अपनी विविध प्रतिभाओं को निखारने और टीमवर्क, नेतृत्व, समय प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं। अरबिंदो में हम निरंतर छात्र-केंद्रित पहलों, जैसे कार्यशालाओं, सम्मेलनों, उत्सवों और उद्योग यात्राओं का आयोजन करने के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ छात्र विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। प्लेसमेंट हमारे लिए एक प्राथमिकता है, जैसा कि इस साल के जॉब और इंटर्नशिप फेयर से पता चलता है, जिसने 50 प्रतिष्ठित संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे छात्रों को उनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही प्लेसमेंट मिल जाए।

जैसा कि आप अरबिंदो में भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं, तो मैं आपको निरूसंकोच इस संस्थान को चुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हम आपकी लक्ष्य-प्राप्ति में हरसंभव मदद करने और दृढ़ समर्थन देने के लिए समर्पित हैं। इस संस्थान के प्रमुख के रूप में मुझे उस पोषणीय और रचनात्मक रूप से प्रेरणादायी वातावरण पर बहुत गर्व है, जिसे हमने कई वर्षों के दौरान अरबिंदो में सावधानीपूर्वक विकसित किया है। आप हमारे साथ अपनी शैक्षिक यात्रा का शुभारम्भ कर रहे हैं, अतः मैं आपका एक बार पुनः सच्चे उत्साह और गर्मजोशी से स्वागत करता हूँ, साथ ही आपसे अपने महाविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का सम्मान करने की उम्मीद करता हूँ। आपसी प्रेम और सहयोग, गुरु-शिष्य केंद्रित दृष्टिकोण, करुणा और त्याग की धारणा, महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए जज्बा और सामान्य रूप से पर्यावरण संरक्षण की चेतना, पर्यावरण संतुलन के लिए चपलता और सतर्कता, निश्चित रूप से एक ऐसी लंबी यात्रा होगी जो आपको आनंदमय और सफल जीवन प्राप्त करने की ओर ले जाएगी। समय प्रबंधन सफलता की प्रथम सीढ़ी है, अतः कक्षाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ प्रवेश करते हुए सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनने का प्रयास करें।

प्रोफेसर विपिन कुमार अग्रवाल प्राचार्य

अस्वीकरण

इस प्रॉस्पेक्टस की सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए हर सावधानी बरती गई है। यहाँ दी गई जानकारी केवल श्री अरिबंदो कॉलेज द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों से संबंधित है। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय की सूचना बुलेटिन देखें या वे दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन (छात्र कल्याण) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सुसंगत नियमों, अध्यादेशों और कानूनों पर दी गई जानकारी अंतिम होगी। प्रॉस्पेक्टस में मौजूद डेटा केवल सांकेतिक है और इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कॉलेज यूजीसी/दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर प्रॉस्पेक्टस में कोई भी परिवर्तन/जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



संकाय

प्राचार्य

प्रो. विपिन कुमार अग्रवाल, आचार्य

वनस्पति विज्ञान विभाग

- प्रो. मंजू एम. गुप्ता, एम.एससी., पीएच.डी.
- प्रो. रश्मि माथुर, एम.एससी., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)
- डॉ. अनिल कुमार मावी, एम.एससी., पीएच.डी.

रसायन विज्ञान विभाग

- प्रो. प्रमोद कुमार, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.
- प्रो. योगेंद्र कुमार, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.
- प्रो. प्रविता कुमार, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.
- प्रो. संगीता कौल, एम.एससी., पीएच.डी.
- प्रो. सोनी रस्तोगी, एम.एससी., पीएच.डी.
- प्रो. अपराजिता चौहान, एम.एससी., पीएच.डी.
- प्रो. विनय कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. लक्ष्मी तंवर, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. शिखा नारंग, एम.एससी., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)
- डॉ. साक्षी मलिक, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. अविनाश कुमार सोनकर, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. नरपत राज नेनिवाल, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. शशांक शेखर, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. प्रियंका मीणा, एम.एससी., पीएच.डी.



वाणिज्य विभाग

प्रो. विपिन कुमार अग्रवाल, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी. (प्राचार्य)

डॉ. अंजलि अरोड़ा, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.

डॉ. शुभांजिल चोपड़ा, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.

डॉ. मीनाक्षी गुप्ता, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.

प्रो. निमता राजपूत, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.

डॉ. आशा किरण गुप्ता, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.

डॉ. अंजलि भटनागर, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.

डॉ. मीनाक्षी चौधरी, एम.कॉम., पीएच.डी.

डॉ. निशिता गुप्ता, एम.कॉम., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)

डॉ. शास्ता गुप्ता, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी.

श्रीमती शिल्की जैन, एम.कॉम., एम.फिल.

श्रीमती मिन्नी नारंग, एम.कॉम., एम.फिल.

डॉ. वन्दना मुंजाल, एम.कॉम., पीएच.डी.

श्रीमती प्रियंका वेदी, एम.कॉम., एम.फिल.

श्रीमती अंकिता गोयल, एम.कॉम., एम.फिल.

डॉ. योगेश गर्ग, एम.कॉम., पीएच.डी.

श्रीमती पारुल गोयल, एम.कॉम., पीएच.डी.

डॉ. सीमा नाशिर, एमबीए, पीएच.डी

डॉ. प्रत्युष सिंह, एम.कॉम., पीएच.डी.

सुश्री आकृति सैनी, एम.कॉम., एम.फिल.

श्रीमती कीर्ति यादव, एम.कॉम.

श्रीमती सोनिया लोहिया, एम.कॉम.

श्रीमती सोनिया, एम.कॉम.

डॉ. कौशलेंद्र पाल सिंह, एम.कॉम., पीएच.डी.

श्रीमती श्रुति, एम.कॉम.

श्री अंकित सिंह, एम.कॉम.

सुश्री इला यादव, एम.कॉम.

श्री सौरभ कुमार, एम.कॉम.

श्री कौशल यादव, एम.कॉम.

डॉ. विजय लक्ष्मी, एम.कॉम., पीएच.डी.

श्री विकास कुमार, एम.कॉम.

श्रीमती शालु, एम.कॉम., एम.फिल.

श्री आलोक बंधु, एम.कॉम.

श्री किशोर कुमार साह, एम.कॉम., एमबीए

श्री दिनेश मीणा, एम.कॉम.

डॉ. प्रियंका मीणा, एम.कॉम., पीएच.डी.

डॉ. कपिल गर्ग, एम.कॉम., पीएच.डी.



श्री अभिषेक मिश्रा, एम.कॉम. सुश्री संगीता बी., एम.कॉम. श्री कार्तिक सैनी, एम.कॉम.

कंप्युटर विज्ञान विभाग

श्रीमती प्रतिभा आर. गुप्ता, एमसीए (विभाग प्रभारी) सुश्री दीक्षा जोशी, एम.एससी.

अर्थशास्त्र विभाग

श्रीमती सुमन लता, एम.ए., एम.फिल. डॉ. रेणुका अनूप कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. डॉ. पारुल जैन, एम.ए., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी) श्रीमती हेमा नागपाल, एम.एससी. श्री शिखर कुमार, एम.ए. डॉ. महेश कौशिक, एम.ए., पीएच.डी. श्रीमती सलोनी खन्ना, एम.ए. श्री विनय कुमार यादव, एम.ए., एम.फिल. श्री अनिल कुमार, एम.ए., एम.फिल.

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

श्री रमेश कुमार, एम.ए. श्री सुदर्शन कुमार, एम.ए.

श्रीमती शोभना चंद्रा, एम.एससी., एम.फिल.

डॉ. वंदना भल्ला, एम.एससी., एम.टेक., पीएच.डी.

डॉ. पी.पी. सिंह, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)

डॉ. मंजू प्रुथी, एम.एससी., पीएच.डी.

डॉ. रिंकी शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी.

डॉ. ममता शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी.

डॉ. शुभ्रा गुप्ता, एम.एससी., पीएच.डी.

डॉ. हिमांशु कुशवाह, एम.एससी., पीएच.डी.

श्री अवनिश यादव, एम.एससी.

डॉ. अनिता कुमारी, एम.एससी., पीएच.डी.

डॉ. दीपक कुमार जायसवाल, एम.एससी., पीएच.डी.

अंग्रेजी विभाग

प्रो. तस्नीम शहनाज, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.

डॉ. राज कुमार वर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.



प्रो. मीता माथुर, एम.ए., पीएच.डी. श्रीमती मौसमी बिस्वास, एम.ए. श्रीमती सुकृति सोबती, एम.ए., एम.फिल. (विभाग प्रभारी) सुश्री विभूति वधावन, एम.ए., एम.फिल. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, एम.ए., एम.फिल. डॉ. हेमचंद्र नामेरकपम, एम.ए., पीएच.डी. श्री शिवम वर्मा, एम.ए. सुश्री आईभी बिस्वास, एम.ए., एम.फिल.

पर्यावरण विज्ञान विभाग

डॉ. नीतू द्विवेदी, एम.एससी., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी) श्रीमती कल्पिता सोनोवाल, एम.एससी.

हिंदी विभाग

- डॉ. विनय जैन, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
- डॉ. मीनाक्षी गुप्ता, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)
- डॉ. हंसराज सुमन, एम.ए., बी.एड., एम.फिल., एमएएमसी (पत्रकारिता), पीएच.डी.
- डॉ. पंकजेन्द्र किशोर, एम.ए., पीएच.डी.
- श्री अभिनव प्रकाश, एम.ए., एम.फिल.
- डॉ. पूजा चीमा, एम.ए., पीएच.डी.
- डॉ. दीपा, एम.ए., पीएच.डी.
- डॉ. पूजा मदान, एम.ए., पीएच.डी.
- डॉ. कैलाशी मीणा, एम.ए., पीएच.डी.
- डॉ. शिवमंगल कुमार, एम.ए., पीएच.डी.
- श्री अमन यादव, एम.ए.
- श्री निर्देश प्रजापति, एम.ए.

इतिहास विभाग

प्रो. अमित झा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी) श्री विनय भारद्वाज, एम.ए., एम.फिल.

गणित विभाग

- डॉ. दविंदर सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)
- प्रो. राजीव अग्रवाल, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. राजेश कुमार, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. ममता गर्ग, एम.एससी., पीएच.डी.
- श्री संयम गुप्ता, एम.एससी.



डॉ. मोनू कुमार, एम.एससी., पीएच.डी. श्री महेश सिंह, एम.एससी., पीएच.डी.

भौतिक विज्ञान विभाग

- डॉ. ओम प्रकाश, एम.एससी., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)
- डॉ. संजय त्यागी, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. शर्मिष्ठा लाहिड़ी, एम.एससी., पीएच.डी.

राजनीति विज्ञान विभाग

- डॉ. आदित्य नारायण मिश्रा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
- प्रो. विपिन कुमार मल्होत्रा, एम.ए., एल.एल.बी., एल.एल.एम., एम.फिल.,पीएच.डी.
- डॉ. एस.एस. राणा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)
- डॉ. प्रशांत बड़थ्वाल, एम.ए., पीएच.डी.
- डॉ. अनुराग पाण्डेय, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
- श्री रौनक कुमार पाठक, एम.ए., एम.फिल.
- डॉ. सुरभि सहगल, एम.ए., पीएच.डी.
- श्री विकास यादव, एम.ए., एम.फिल.
- सुश्री एकता बसोया, एम.ए.
- डॉ. हरीश कुमार, एम.ए., पीएच.डी.
- डॉ. अंजू, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
- डॉ. लमनेवाह सितलहो, एम.ए., पीएच.डी.
- श्री अविनाश नेगी, एम.ए.
- श्रीमती चंचल मीणा, एम.ए.
- श्री दिव्येंदु झा, एम.ए.
- श्री विकास आनन्द, एम.ए.
- श्री सचिन कुमार, एम.ए., एम.फिल.

शारीरिक शिक्षा विभाग

प्राचार्य (विभाग प्रभारी)

संस्कृत विभाग

डॉ. विजित कुमार, एम.ए., पीएच.डी. (विभाग प्रभारी)

जन्तु विज्ञान विभाग

- डॉ. कमलजीत डबास, एम.एससी., पीएच.डी.
- श्री ओमप्रकाश सिंह यादव, एम.एससी., एम.फिल. (विभाग प्रभारी)
- डॉ. नितिन चौहान, एम.एससी., पीएच.डी.
- डॉ. अनिता सिंह, एम.एससी., पीएच.डी.



सचिव कर्मचारी परिषद

प्रो. मंजू एम. गुप्ता, आचार्य

प्रशासन

श्री रविंदर सिंह : प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासनिक विभाग) श्री अनिल शर्मा : अनुभाग अधिकारी (प्रशासनिक विभाग)

श्री पवन गुप्ता : वरिष्ठ सहायक (लेखा विभाग)

लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत) आचार्य, संगीता कौल, प्रो॰

सहायक नन सूचना अधिकारी

डॉ. रश्मि माथुर, सह-आचार्य





प्रस्तुत पाठ्यक्रम

			** *							
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की स्वीकृत संख्या										
पाठ्यक्रम का नाम	कुल योग	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	सीडब्ल्यू	केएम	
बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी	58	23	6	9	4	16	3	3	1	
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	58	23	6	9	4	16	3	3	1	
बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	77	31	8	12	5	21	4	4	2	
बी.कॉम. (प्रोग्राम)	347	140	35	52	26	94	17	17	7	
बी.कॉम. (ऑनर्स)	77	31	8	12	5	21	4	4	2	
बी.एससी. जीवन विज्ञान	58	23	6	9	4	16	3	3	1	
बी.एससी. (प्रोग्राम) भौतिक विज्ञान के साथ रसायन	115	46	12	17	9	31	6	6	2	
बी.एससी. (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स	40	16	4	6	3	11	2	2	1	
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए अनुशासन अनुसार बी.ए. प्रोग्राम सीट मैट्रिक्स										
बी.ए. (प्रोग्राम) इतिहास + राजनीति विज्ञान	154	62	16	22	12	42	6	6	2	
बी.ए. (प्रोग्राम) अर्थशास्त्र + राजनीति विज्ञान	77	31	7	12	6	21	3	3	1	
बी.ए. (प्रोग्राम) वाणिज्य + अर्थशास्त्र	77	31	7	12	6	21	3	3	1	
बी.ए. (प्रोग्राम) इतिहास + अर्थशास्त्र	44	17	6	7	2	12	2	2	1	
बी.ए. (प्रोग्राम) संसकृत + अर्थशास्त्र	11	4	1	2	1	3	1	1	1	
बी.ए. (प्रोग्राम) संस्कृत + इतिहास	11	4	1	2	1	3	1	1	1	
बी.ए. (प्रोग्राम) संस्कृत + राजनीति विज्ञान	11	4	1	2	1	3	1	1	1	

नोट : महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम का अनुपालन करता है

आरक्षित सीटें

- 1. अनुसूचित जातियाँ (15%)
- 2. अनुसूचित जनजातियाँ (7.5%)
- 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)
- 4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सरकारी नियमानुसार)



विशेष सीटें

- 1. दिव्यांग व्यक्ति (5%)
- 2. अर्धसैनिक सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चे अथवा विधवाएँ (5%) (विश्वविद्यालय के नियमानुसार)
- 3. पाठ्येतर गतिविधियाँ (ईसीए) (2.5%)
- 4. खेल (2.5%)
- 5. कश्मीरी प्रवासियों का वार्ड (5%)
- 6. जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति
- 7. नामांकित सिक्किमी छात्र (वीसी नॉमिनी द्वारा)
- 8. विदेशी छात्र (10%)
- 9. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का वार्ड कोटा (5%)
- 10. अनाथ कोटा (प्रत्येक कार्यक्रम में 2 सीटें, 1 बालक और 1 बालिका)
- 11. एकल बालिका कोटा (प्रत्येक कार्यक्रम में एक सीट)

उपर्युक्त आरक्षित श्रेणियों के तहत प्रवेश विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों और उसके द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर जारी प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे

प्रवेश-प्रक्रिया

शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के समस्त स्नातक कार्यक्रमों के लिए आवंटन-सह-प्रवेश की सूची निम्नलिखित है :

1) सीएसएएस के दूसरे चरण की शुरुआत

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)-स्नातक के नतीजे घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (सी.एस.ए.एस)-2024 के प्रारंभ होने की घोषणा करेगा।

इस चरण में जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन उन्हें अपने पसंदीदा कार्यक्रम और कॉलेज चुनने के लिए डैशबोर्ड (https://cuet.samarth.ac.in) पर लॉगिन करना होगा।

2) करेक्शन विंडो

जिन अभ्यर्थियों ने अपना प्रथम चरण पहले ही पूरा कर लिया है और कुछ क्षेत्रों को सम्पादित या संशोधित करना चाहते हैं, उनके लिए एक करेक्शन विंडो भी प्रदान किया गया है।

यह उम्मीदवारों के लिए अपनी प्रोफाइल अद्यतन करने की मात्र एक बार की सुविधा है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी, एनसीएल), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) के वे अभ्यर्थी जो अपने अद्यतन दस्तावेज/प्रमाण-पत्र फिर से अपलोड करना चाहते हैं, करेक्शन विंडो में जाकर ऐसा कर सकते हैं। किन्तु अभ्यर्थियों को करेक्शन विंडो में निम्नलिखित क्षेत्र को संपादित/संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी:



- क) अभ्यर्थी का नाम
- ख) अभ्यर्थी का फोटो
- ग) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
- घ) अभ्यर्थी का लिंग
- च) अभ्यर्थी का पंजीकृत ईमेल आईडी
- छ) अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर
- ज) अभ्यर्थी की श्रेणी/उप-श्रेणी/जाति/अतिरिक्त कोटा

अभ्यर्थी इसमें 'ईसीए' और 'स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा' के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएँगे। हालाँकि वे अपने प्रमाणपत्र पुनः अपलोड कर सकते हैं। प्रवेश प्रयोजनों के लिए केवल 'सीएसएएस पोर्टल' पर अपलोड किए गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

करेक्शन विंडो के खुलने की तिथि की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित करने के उपरांत दी जाएगी।

छात्रों की कक्षाओं में सशरीर शामिल हो जाने पर उनके प्रमाणपत्र का सत्यापन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

3) कार्यक्रम-विस्तार मेरिट स्कोर की गणना

दूसरे चरण में, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बारहवीं कक्षा में पढ़े गए विषयों को उन विषयों से जोड़ना होगा, जिनमें वे सी.यू.ई.टी.-2024 में उपस्थित हुए हैं। और केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया जाएगा, जिनमें अभ्यर्थी ने बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि बारहवीं कक्षा में पढ़ा गया विषय सीयूईटी का हिस्सा नहीं था, तो बारहवीं कक्षा में पढ़े गए विषय के समान या उसके करीब के विषय पर विचार किया जाएगा। सही विषय की जानकारी प्रदान करना अभ्यर्थी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

प्रवेश हेतु एनटीए द्वारा प्रदत्त 'प्रोग्राम-ग्रुप मेरिट स्कोर' की गणना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय विषय-आधारित 'सामान्यीकृत स्कोर' पर विचार करेगा। अभ्यर्थी उन सभी कार्यक्रमों के लिए, जिनके कि वे पात्र हैं, 'सामान्यीकृत स्कोर' के आधार पर अपना 'प्रोग्राम-स्पेसिफिक सीयूईटी स्कोर' देखने के लिए सक्षम होंगे। ये 'प्रोग्राम-स्पेसिफिक सीयूईटी स्कोर' अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड पर स्वतः ही प्रदर्शित एवं परिगणित होंगे।

4) प्राथमिकताएँ भरने हेतु सलाह

'वरीयता चयन' अनुभाग के अंतर्गत अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकताओं का क्रमबद्ध चयन करने में सक्षम होगा। 'उपलब्ध प्राथमिकताएँ' टैब उन सभी संभावित कार्यक्रमों एवं कॉलेज संयोजनों को प्रदर्शित करेगा, जिन्हें अभ्यर्थी चुन सकता है। इसके अलावा, अभ्यर्थी महाविद्यालयों के साथ-साथ कार्यक्रमों को फिल्टर करने के लिए शीर्ष पर उपलब्ध 'उन्नत फिल्टर' विकल्प का उपयोग कर सकता है। अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अनुसार ही प्राथमिकताओं का क्रमबद्ध चयन करना होगा। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए 'ऊपर, नीचे और वरीयता संख्या' आइकन का उपयोग कर सकते हैं। प्राथमिकताओं का अंतिम क्रम, जैसा कि भरा और सहेजा गया है, वह पुनः 'चयनित प्राथमिकताएँ' टैब में दिखाई देगा। एक बार वरीयता क्रम से संतुष्ट हो जाने के उपरांत, अभ्यर्थी को अपनी प्राथमिकताएँ प्रस्तुत करने के लिए



'परिवर्तन सहेजना' होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा सहेजी गई प्राथमिकताएँ उनके प्रवेश और आवंटन का निर्धारण करेंगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने का इच्छुक है अथवा उसके द्वारा ऐसी पेशकश की जाती है तो उसे यह सलाह दी जाती है कि अधिकतम संख्या में अपनी प्राथमिकताएँ चुने। दूसरे चरण की समय सीमा समाप्त होने के बाद महा. विद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कार्यक्रमों को किसी भी प्रकार से जोड़ने या हटाने अथवा संपादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5) CSAS(UG) 2023 आवंदन-सह-प्रवेश अनुसूची

अधिक जानकारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

विश्वविद्यालय रिक्त सीटों की उपलब्धता, यदि कोई हो, के आधार पर और अधिक राउंड की घोषणा कर सकता है।

पहले, तीसरे, पाँचवे और सातवें सेमेस्टर के लिए स्नातक कार्यक्रमों का शैक्षणिक सत्र दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि की घोषणा के उपरांत शुरू होगा।

6. पहले राउंड में अतिरिक्त आवंटन

पहले राउंड के आवंटन में सिर्फ अनारक्षित (यूआर), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी, एनसीएल), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणियों में 20% अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा और सभी महाविद्यालायों के समस्त कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणियों में 30% आवंटन किया जा सकता है। हालाँकि उन कॉलेजों में, जहाँ पिछले शैक्षणिक सन्न में प्रवेश हेतु 5% से कम निकासी हुई थी, यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस के लिए 10% अतिरिक्त आवंटन और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए 15% अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है।

आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय छात्रों के व्यापक हित में बेहतर ढंग से सीटों को भरने के लिए नीतियों पर निर्णय ले सकता है।

7. जन जागरबकता वेबिनार

'एडिमिशन ब्रांच' ने भावी छात्रों को उनके प्रश्नों के समाधान में मदद करने के लिए हेल्पडेस्क, चैट-बॉक्स और ईमेल सुविधा स्थापित की है। विश्वविद्यालय की 'एडिमिशन वेबसाइट' http://admission.uod.ac.in पर यह विवरण उपलब्ध है।

वेबिनार का सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चौनल : दिल्ली विश्वविद्यालय पर किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे 'स्नातक सूचना बुलेटिन 2023' और सीएसएएस 2023 के नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा समस्त प्रकार के अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय के 'एडिमशन वेबसाइट' पर जाएँ:



1. स्नातक सूचना बुलेटिन 2024 : hhttps://admission.uod.ac.in/userfiles/downloads/29052024_ CSAS-UG_compressed.pdf

2. एडिमशन वेबसाइट : http://admission.uod.ac.in

3. सीएसएएस पंजीकरण लिंक : https://ugadmission.uod.ac.in

८. स्थानांतरण/प्रवासन

विश्वविद्यालय के किसी अन्य महाविद्यालय से श्री अरिबंदो कॉलेज में प्रवासन हेतु आवेदन पर प्राचार्य द्वारा तभी विचार किया जाएगा,जब वह उस महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किया गया हो तथा जहाँ से प्रवासन की मांग की गई हो। नामांकन प्रविष्टियों में आवश्यक परिवर्तन केवल दोनों प्राचार्यों से लिखित सहमित प्राप्त करने के बाद रिजस्ट्रार द्वारा विश्वविद्यालय के रिजस्टर में किया जाएगा। कॉलेज स्थानांतरण अनुदान का अधिकार सख्ती से सुरक्षित रखता है।

उपस्थित

छात्रों को सभी लेक्चर्स, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में भाग लेना आवश्यक है। उपस्थिति के उद्देश्य से ट्यूटोरियल को अलग से क्रमांकित किया गया है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार, सभी पाठ्यक्रमों के लिए और उतरोत्तर शैक्षणिक वर्षों में अलग से न्यूनतम उपस्थिति 66% आवश्यक है। अपेक्षित उपस्थिति प्रतिशत के बिना किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आंतरिक मूल्यांकन

विभिन्न विषयों में आंतरिक मूल्यांकन विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के सभी छात्रों को प्रसंस्करण हेतु छात्रवृत्ति फॉर्म 'ब' जमा करना चाहिए।





प्रवेश के समय देय शुल्क और अन्य खर्च, वर्ष 2024-2025

क्र.सं.	प्रमुख शुल्क	बी.ए. (प्रोग्राम), बी. ए. (ऑनर्स), अंग्रेजी / हिंदी / राजनीति विज्ञान / बी.कॉम./बी.कॉम. (ऑनर्स)/एम.ए. हिंदी प्रथम वर्ष	दिव्यांग एम.ए. हिंदी प्रथम वर्ष	बी.एससी. इलेक्ट्रॉनिक्स/ बी.एससी. जीव विज्ञान/ बी.एससी. भौतिक विज्ञान प्रथम वर्ष	
1.	विश्वविद्यालय छात्र कल्याण निधि	200	50	200	
2.	विश्वविद्यालय विकास निधि	1000	250	1000	
3.	विश्वविद्यालय सुविधाएँ और सेवा शुल्क	1000	250	1000	
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समर्थन	150	37	150	
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डुसु) निधि	20	5	20	
6.	ट्यूशन फीस	180	45	180	
7.	महाविद्यालय सुविधाएँ एवं सेवा-शुल्क	930	233	966	
8.	महाविद्यालय विकास निधि	1670	418	1670	
9.	महाविद्यालय छात्र कल्याण निधि	4450	1112	7450	
	कुल	9600	2400	12636	

नोट

- (अ) विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा एकत्र किए जा रहे पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त \$100 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि का भुगतान करना आवश्यक है।
- (ब) प्रवेश के समय छात्रों को अन्य वार्षिक शुल्कों के साथ छह महीने (मई से अक्टूबर) की फीस का भुगतान करना होगा।
- (स) किसी भी छात्र तब तक विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके द्वारा महाविद्यालय को सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता और इस आशय की मंजूरी प्राप्त नहीं कर ली जाती।

शुल्क वापसी

शुल्क वापसी विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार मान्य होगी।

सुरक्षा निधि की वापसी

यदि कोई भी छात्र या छात्रा महाविद्यालय छोड़ने की तारीख से तीन साल के भीतर सुरक्षा राशि की वापसी के लिए आवेदन करने में विफल रहता है/रहती है तो उसके कॉलेज और पुस्तकालय की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी। यदि महाविद्यालय की संपत्ति का कोई हिस्सा छात्र/छात्रा द्वारा क्षतिग्रस्त या खो जाता है तो उसकी सुरक्षा राशि में कटौती की जाएगी। छात्र/छात्रा से उचित सहमति लेने के बाद सुरक्षा राशि कॉलेज के पूर्व छात्र कोष में स्थानांतरित की जा सकती है।



पहचान पत्र

प्रवेश के तुरंत बाद महाविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी का परिचय पत्र जारी करेगा। विद्यार्थी को इसे महाविद्यालय में हर वक्त अपने साथ रखना होगा। मुख्य द्वार से महाविद्यालय परिसर में प्रवेश हेतु अनुमति, परिचय पत्र दिखाने के बाद ही दी जाएगी। इसे कॉलेज में किसी भी समय स्टॉफ या किसी भी सदस्य की मांग पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हानि या क्षति या ओवर राइटिंग अथवा विकृति की स्थिति में कॉलेज प्राधिकारियों की संतुष्टि के हेतु उचित स्पष्टीकरण और प्रत्येक प्रतिस्थापन के लिए 50 रुपये जुर्माना भुगतान के अधीन नकली पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को संचार हेतु अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत 'कॉलेज ऑफिस' को सूचित करना होगा, अन्यथा उनके पहचान पत्र रद्द कर दिए जाएँगे।

छात्रवृत्तियाँ / शुल्क में छूट / छात्र सहायत कोष आदि

महाविद्यालय भारत सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रथम श्रेणी की विविध योजनाओं के तहत विभिन्न छात्रवृत्तियों की सुविधा प्रदान करता है। ये विवरण दिल्ली विश्वविद्यालय के ओबीसी/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी छात्रवृत्ति सेल से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये रियायतें उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें वित्तीय सहायता की जरुरत है अथवा जो शैक्षणिक योग्यता प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ाई में पिछड़ा या उपस्थिति में अनियमित पाया जाता है तो कॉलेज को ऐसी छूट वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है। महाविद्यालय जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति या पुस्तकों आदि के पुरस्कार के माध्यम से सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 'छात्र सहायता कोष' भी बनाए रखता है। महाविद्यालय में एक वर्ष की अविध के लिए दो योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियाँ गठित होने की संभावना है। छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष प्राप्तकर्ता के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर नवीकरणीय होती है। महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक और पाठ्येतर दोनों गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हेतु एक आकर्षक पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया जा रहा है।

महाविद्यालय की पत्रिका

महाविद्यालय 'अरविंद ज्योति' नामक पत्रिका निकालता है। यह पत्रिका विद्यार्थियों और कर्मचारियों को आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक लेखन का अवसर प्रदान करती है। यह वह दर्पण है जो विद्यार्थियों और कर्मचारियों की पाठ्यचर्या और पाठ्येतर प्रतिभाओं को दर्शाता है।

धूमपान निषेध नोडल अधिकारी

महाविद्यालय को धूम्रपान वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। महाविद्यालय द्वारा धूम्रपान विरोधी नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

चिकित्सा जाँच और अनुवर्ती कार्रवाही

महाविद्यालय में विजिटिंग डॉक्टरों की एक टीम द्वारा छात्रों की वार्षिक चिकित्सा जाँच की जाती है। इसके अलावा छात्रों की जाँच के लिए एक पूर्णकालिक नर्स की नियुक्ति की गई है।



खेल

विगत कुछ वर्षों में महाविद्यालय की विभिन्न खेल टीमों ने निरंतर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसका श्रेय सामूहिक रूप से खेल समिति, प्रशिक्षकों के समर्पित प्रयास और खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और अभ्यास की नियमितता को जाता है।









राष्ट्रीय कैंडेट कोर

महाविद्यालय के नवोदित राष्ट्रभक्तों के एनसीसी बटालियन की कमान एनसीसी अधिकारी के पास है। हमारे एनसीसी कैडेटों ने पिछले वर्ष के दौरान कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में भाग लिया और 'बी' एवं 'सी' प्रमाण-पत्र परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।







राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में एक बहुत ही सक्रिय एन.एस.एस इकाई है। कार्यक्रम अधिकारी की प्रेरणा से विद्यार्थियों ने सामुदायिक उत्थान सेवाओं एवं रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों में भाग लेकर उपयोगी समाज सेवाएँ प्रदान की हैं।

महाविद्यालय का समय

कक्षाएँ प्रातः 8:45 बजे शुरू होती हैं।

कार्यालय का समय

छात्र-व्यवहार सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और पुनः दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच किया जाता है। महाविद्यालय का कार्यकाल सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है।

छात्र संघ

छात्र संघ महाविद्यालय में छात्रों की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। इसकी सदस्यता महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इसका उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के तरीकों में प्रशिक्षित करना है।

अध्यादेश

अध्यादेश XV -बी

विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना

- (1) अनुशासन और अनुशासन संबंधी कार्यवाही से संबंधित सभी शक्तियाँ प्राचार्य/उप कुलपित में निहित होंगी।
- (2) प्राचार्य/उप कुलपति ऐसी सभी शक्तियों को प्रॉक्टर या इसी प्रकार के किसी अन्य अधिकारी, जिसे वे विशेष रूप से निर्दिष्ट करें, सौंप सकते हैं।
- (3) बिना किसी पूर्वग्रह के अनुशासन लागू करने की शक्ति की व्यापकता के अन्तर्गत निम्नलिखित कृत्य अनुशासनहीनता माने जाएँगे।
 - (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के दायरे में किसी भी संस्थान / विभाग के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों तथा किसी भी छात्र के विरूद्ध शारीरिक हमला या बल प्रयोग की धमकी।
 - (ख) किसी भी प्रकार के हथियार को साथ रखना, उसका उपयोग या उसके इस्तेमाल करने की धमकी देना।
 - (ग) नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976 कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करना ।
 - (घ) अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित छात्रों की परिस्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करना ।
 - (ड.) महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का मौखिक या अन्य तरीके का अपमानजनक व्यवहार।
 - (च) रिश्वत देने का कोई भी प्रयास या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ।
 - (छ) संस्थागत सम्पत्ति को जानबूझकर क्षति पहुँचाना।



- (ज) धार्मिक या साम्प्रदायिक आधार पर वैमनष्यता या असहिष्णुता ।
- (झ) विश्वविद्यालयी व्यवस्था के शैक्षणिक कार्यकलाप को किसी भी तरह से बाधा पहुँचाना ।
- (ज) अध्यादेश XV-सी के अनुसार रैंगिंग करना।
- (4) प्राचार्य, बिना किसी पूर्वग्रह के अनुशासन बनाए रखने संबंधी अपनी शक्तियों की व्यापकता का उपयोग कर सकता/सकती है और अनुशासन को बनाए रखने के हित में प्राचार्य को जो भी उचित लगे, अपनी शक्तियों का आदेश देकर या सीधे कार्यवाही कर सकता/सकती है, जैसे-
 - (क) कोई भी छात्र या छात्र-समूह निष्कासित किया जा सकता है या
 - (ख) कोई भी छात्र या छात्र-समूह एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है या
 - (ग) किसी एक निश्चित अवधि के लिए किसी भी विषय या विषयों में महाविद्यालय के विभाग या विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकेगा या
 - (घ) एक निर्दिष्ट रुपये की धनराशि का जुर्माना किया जा सकता है या
 - (ड.) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की विभागीय परीक्षा जिसमें उसने भाग लिया हो, प्रतिबंधित या रद्द किया जा सकता है।
- (5) प्रत्येक विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह इन नियमों की एक प्रति अपने पास रखेगा/ रखेगी। प्रवेश के समय सभी विद्यार्थियों को एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि प्रवेश लेने पर वह प्राचार्य/उपकुलपति एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में आएगा/ आएगी और सक्षम अधिकारी विश्वविद्यालय के अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यादेश XV -सी

रैंगिंग पर प्रतिबन्ध और दण्ड का प्रावधान

- (1) किसी भी प्रकार की रैगिंग चाहे वह महाविद्यालय परिसर के भीतर हो अथवा विभाग या संस्था और दिल्ली विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अतिरिक्त आम यातायात में हो, सख्ती से प्रतिबंधित है।
- (2) व्यक्तिगत या सामूहिक रैगिंग जिससे घोर अनुशासनहीनता पैदा हो, इस अध्यादेश के अंतर्गत विचारणीय होगा।
- (3) इस अध्यादेश के अंतर्गत रैगिंग का सामान्यतः अभिप्राय है सीनियर विद्यार्थियों का जूनियर विद्यार्थियों के समुक्ख शक्ति प्रदर्शन, उन पर हावी हो जाना, उन्हें नीचा दिखाना आदि के अंतर्गत निम्न बातें शामिल हैं:-
 - (क) शारीरिक यातना और धमकी
 - (ख) छात्र की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा का उल्लंघन
 - (ग) अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों का अपमान
 - (घ) विद्यार्थियों की खिल्ली उड़ाना और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना
 - (ड.) गाली-गलौज, आक्रामकता, बुरी नजर और अश्लील हरकत करना आदि
- (4) महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग या संस्था के अध्यक्ष, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या छात्रावासों के सक्षम अधिकारी रैगिंग की घटना पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।
- (5) क्लॉज (4) के तहत संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय के अनुशासनाधिकारी रैगिंग की किसी भी घटना पर जाँच कर सकते हैं और प्राचार्य/उप-कुलपित को रैगिंग की प्रकृति और उसमें शामिल व्यक्तियों की अभिसूचना दे सकते हैं।



- (6) अनुशासनाधिकारी रैगिंग करने वाले के विरूद्ध अपनी आरंभिक रिपोर्ट प्राचार्य को सौंप सकता है।
- (7) यदि प्राचार्य या विभाग के अध्यक्ष या संस्थान के अनुशासनाधिकारी लिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए तथ्यों से संतुष्ट हों तो जाँच करना अनावश्यक होगा। इसके आधार पर वे प्राचार्य/उपकुलपित को सीधे अपनी राय दे सकते हैं।
- (8) यदि प्राचार्य/उपकुलपति को लगे कि इसमें आगे जाँच करना आवश्यक नहीं है तो उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा।
- (9) क्लॉज (5) या (6) के अन्तर्गत प्राप्त रिपोर्ट या क्लॉज, तीन (ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत उल्लिखित रैगिंग की घटना पर क्लॉज (7) के अंतर्गत दृढ़ निश्चय द्वारा प्राचार्य/उपकुलपित स्वयं दंडात्मक कार्रवाई करते हुए विद्यार्थी का प्रवेश रद्द कर सकते हैं या कुछ वर्षों के लिए उसे निष्कासित कर सकते हैं।
- (10) रैगिंग संबंधी अन्य घटनाओं पर प्राचार्य/उपकुलपित निर्देश या आज्ञा द्वारा विद्यार्थी को कुछ निश्चित समय के लिए महाविद्यालय के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा से एक या अधिक वर्षों के लिए बाहर कर सकते हैं या उसकी परीक्षा के परिणाम निरस्त कर सकते हैं।
- (11) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री-डिप्लोमा लिया हो, यदि इस अध्यादेश के अंतर्गत



अपराधी पाए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय के परामर्श पर उनकी डिग्री-डिप्लोमा वापस लेने के लिए स्थिति (15) के तहत उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

- (12) इस अध्यादेश के अनुसार रैगिंग के लिए उकसाना, वह चाहे किसी कृत्य के द्वारा हो या किसी व्यवहार के द्वारा भी रैगिंग माना जाएगा।
- (13) इस अध्यादेश के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी संस्थानों को उक्त निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य है साथ ही वे उपकुलपित द्वारा इस अध्यादेश को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने में सहायक हो सकते हैं।

नोट : भारत सरकार के नियमों के अनुसार रैगिंग एक दंडनीय अपराध है।



कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (बंद करना, प्रतिबंधित करना और क्षतिपूर्ति), अधिनियम २०१३; (विधि और न्याय मंत्रालय)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अधिनियम एवं शिकायतकर्ता के यौन शोषण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए यौन शोषण को प्रतिबंधित करना एवं उसकी क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले-

महिलाओं का उनके कार्यस्थल पर शोषण न हो, साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अनुसार समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो तथा अनुच्छेद 21 के अनुसार उनको यौन शोषण मुक्त सुरक्षित वातावरण में कोई भी व्यवसाय, नौकरी, व्यापार करने का अधिकार हो। महिलाओं के सम्मानपूर्वक कार्य करने के मानवाधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा भी सर्वत्र मान्यता प्राप्त है, उनके प्रति सभी प्रकार के भेदभावों का बहिष्कार किया गया है। इसका समर्थन 25 जून 1993 को भारत सरकार ने किया है। महाविद्यालय में इससे संबंधित आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित नियमों के तहत कार्य करती है।

महाविद्यालय लैंगिक तटस्थता की नीति में विश्वास करता है और सभी लिंगों का सम्मान करता है।





माता-पिता/अभिभावक

महाविद्यालय को विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों के सहयोग की सदैव आवश्यकता होती है। महाविद्यालय यथासंभव विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करता है और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट उनके माता-पिता/अभिभावकों के पास भेजने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष

श्री अरिवन्द महाविद्यालय में पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय है। अपने छात्रों को उनकी प्रतिभा के शिखर तक पहुँचाने के लिए महाविद्यालय के पास विभिन्न अनुशासनों की पुस्तकें बड़ी मात्र में उपलब्ध हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 66765 पुस्तकें हैं। अध्ययन कक्ष में समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, जर्नल्स, सामियकी आदि उपलब्ध हैं। पुस्तकालय के नियमों का पालन करना एवं इसको अध्ययन की जगह बनाना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है।

पुस्तकालय की किसी पुस्तक, सामयिकी या किसी जर्नल के पन्नों को किसी भी परिस्थिति में फाड़ना-मोड़ना सख्त मना है। पुस्तकालय परिसर में शांति बनाए रखना अति आवश्यक है।

प्रयोगशाला की सुविधा

महाविद्यालय के विज्ञान विभाग में अति विकसित प्रयोगशालाएँ हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रयोगशालाएँ अत्याधुनिक उपकरणों एवं यंत्रों से समृद्ध हैं।





कंप्युटर प्रयोगशाला

महाविद्यालय में केंद्रीत इंटरनेट सुविधा के साथ एक सुसज्जित कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब का उपयोग छात्रों द्वारा अपने पाठ्यक्रम कार्य का अध्ययन करने के अलावा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बढ़ाने और विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है।

नियोजन प्रकोष्ठ/कक्ष (प्लेसमेंट सेल)

महाविद्यालय का प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल छात्रों और कॉर्पोरेट जगत के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष इसका नेतृत्व डॉ. मीनाक्षी चौधरी कर रही हैं। कॉलेज को विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियों से ऑफर मिले हैं। पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान 200 से अधिक छात्रों को एचडीएफसी, कारदेखो, स्विगी, मिहंद्रा, करियर लॉन्चर, लेंसकार्ट, अर्बन कंपनी, ट्रेडशाला, ईगो पाठशाला, बिजगुरुकुल, पायनियर सॉल्यूशंस आदि जैसी फर्मों से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए चुना गया।

रोजगार और प्रशिक्षण मेले के दौरान 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, केपीएमजी, डी शॉ, जोमैटो, एसबीआई, प्लैनेटस्पार्क, जीएससी एसोसिएट्स, बेलवे रियलटेक आदि कुछ भर्तीकर्ता थे।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

महाविद्यालय के सांस्कृतिक समूह ने आज विश्वविद्यालय सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। आज महाविद्यालय में आठ पंजीकृत सोसायटी - मोक्ष (थिएटर), क्रंक (पश्चिमी नृत्य), बैंडवैगन्स (फैशन), तालीम (भारतीय संगीत), एलंग्रो (पश्चिमी संगीत), सेज (साहित्यिक), ३पी (पेंटिंग, पोस्टर और फोटोग्राफी) और साल्वेशन (पर्यावरण) हैं। संकाय समन्वयकों के कुशल मार्गदर्शन में ये सोसायटियाँ छात्रों को विभिन्न इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज कार्यक्रमों में भाग लेने और प्रदर्शन करने में मदद करती हैं। महाविद्यालय में नई प्रतिभाओं को तलाशने के लिए सितंबर की शुरुआत में एक वार्षिक टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। छात्रों ने सभी प्रमुख इंटर और इंट्रा कॉलेज प्रतियोगिताओं/उत्सवों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हर बार कॉलेज का नाम रोशन किया है। बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला दो दिवसीय कार्यक्रम 'महक', महाविद्यालय का वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। देश भर के विभिन्न संस्थानों की सभी श्रेणियों की प्रतियोगिताओं में हमारी उत्साहपूर्ण भागीदारी होती है। महाविद्यालय युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध स्पीकमेसी सोसायटी का सदस्य है। इस तरह की समृद्ध बातचीत से छात्रों को कला और संस्कृति की हमारी समृद्ध विरासत के बारे में संपूर्ण समझ विकसित करने में मदद मिलती है।

सूचना

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पहले, तीसरे, पाँचवे और सातवें सेमेस्टर के सुसंगत स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु पालन किया जाने वाला शैक्षणिक कैलेंडर की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जारी करने के उपरान्त दी जाएगी।













